(123)

संo— / ।।—2010—04(16) / 2009

प्रेषक,

आर0सी0 लोहनी,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग, देहरादून, दिनांक, 16 नवम्बर, 2011

विषयः— **सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद के अन्तर्गत कोसी बैराज के सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0—2633 / मुअवि / नि0अनु0 / पी—27(योजना), दि0—26.09.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा में कोसी नदी में प्रस्तावित बैराज निर्माण हेतु सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0—3832 / ।।—2010—04(16) / 2009, दि0—02.03.2010 तथा शासनादेश सं0 2496 / ।।—2010— 04(16) / 2009, दि0—15.09.2010 के द्वारा अवमुक्त की गई कुल धनराशि ₹ 33.40 लाख के उपरान्त पुनः उपलब्ध कराये गये उक्त योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹ 84.28 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 66.62 लाख के प्राक्कलन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में निर्गत कुल धनराशि ₹ 33.40 लाख को कम करते हुए योजना की पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 33.22 लाख व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0—31.03.2012 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में अनुदान सं0—20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80—सामान्य 005—सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (किशाऊ बांध सहित) 03—निर्माण कार्य 42—अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—590 / XXVII(2) / 2010, दिनांक—11 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

क्रमशः / 2